



2026:AHC:59540

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1692/2026

हरिनारायण यादव

.... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : चंद्र भूषण तिवारी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, संतोष कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया। सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित हैं।
2. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के अंतर्गत, अपीलकर्ता द्वारा, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) अधिनियम, गाजीपुर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 290/2025, धारा 140(2), 191(2), 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. तथा धारा 3(1)(डी), 3(1)(डीएच), 3(2) (5ए) एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना मरदह, जनपद गाजीपुर में पारित आदेश दिनांक 02.02.2026 जिसके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है, को निरस्त किए जाने हेतु योजित की गई है।
3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता-आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण में 13-14 घंटे का विलम्ब है, जिसका कोई युक्तिसंगत कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। आगे यह भी निवेदन किया गया कि अपीलकर्ता ने पूर्व में इस न्यायालय का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दरवाजा खटखटाते हुए आपराधिक विविध याचिका संख्या 29837/2025 प्रस्तुत की थी, जिसमें दिनांक 20.02.2026 के आदेश द्वारा गिरफ्तारी से स्थगन प्रदान किया गया था, जो अब भी प्रभावी है, हालाँकि उक्त आदेश की तामील न हो पाने के कारण अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी निवेदन किया गया कि घायल को आई चोटें साधारण प्रकृति की हैं। यह भी निवेदन किया गया कि अपीलकर्ता दिनांक 27.01.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया कि अभी तक आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत अपराध गठित करने हेतु आवश्यक तत्व भी नहीं हैं।

4. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. द्वारा जमानत प्रार्थना का विरोध किया गया, हालाँकि उपर्युक्त तथ्यों का प्रभावी खंडन नहीं किया जा सका।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख, जिसमें आक्षेपित आदेश भी सम्मिलित है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया।

6. प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा दण्ड की संभावित गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय का विचार है कि अपीलकर्ता जमानत पर रिहा किए जाने योग्य है।

7. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलकर्ता की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने संबंधी आक्षेपित आदेश दिनांक 02.02.2026 को निरस्त किया जाता है।

8. अतः अपीलकर्ता हरिनारायण यादव, उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त, को एक निजी मुचलका एवं समान राशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश निर्गत करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा—

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

(ii) अपीलकर्ता साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्षियों को प्रभावित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (iv) अपीलकर्ता किसी भी प्रकार का अपराध कारित नहीं करेगा।
- (v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का उद्घाटन करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।
- (vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
- (vii) अपीलकर्ता उन तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, साक्ष्य हेतु अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (viii) अपीलकर्ता धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, अभियोजन को सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना के निर्णय तक सीमित हैं तथा प्रकरण के गुण-दोष पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेंगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव)

23 मार्च, 2026

रवींद्र के. सिंह